

01.03.2024 पत्रावली पेश। वकील वादीगण एक
वादीगण अनुपस्थित रूक-रूक
कर तीन बार आवाज लगाई गई
भावभूद इसके बोर्ड उपस्थित नहीं।
इससे प्रतीत होता है कि वादीगण
एवं वकील वादीगण अपने दाये को
चेकर सम्भर नहीं हैं अतः दावा अदम
हानिरी, अदम पैरवी में इसी स्तर
पर खारिज किया जाता है। पत्रावली
केसल शुमार चेकर नम्बर दे कम
भी आकर दाखिल पत्र है।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) सांचौर (जालौर)

